"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2007—श्रावण 12, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री अविनाश चंपावत, भा. प्र. से. (2003) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से. (2004) अनुविभागीय अधिकारी, मुंगेली (बिलासपुर) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (सी. जी.:1985), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सह आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री डी. के. श्रीवास्तव, विशेष सचिव, जन सम्पर्क विभाग एवं संचालक, जन सम्पर्क के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 23-07-2007 से 28-07-2007 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 29-07-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/7/2007/1/2.—श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से., को दिनांक 04-06-2007 से 07-06-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री एन. के. खाखा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. के. खाखा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 28-07-2007 से 31-07-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग को दिनांक 23-08-2007 से 07-09-2007 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9-09-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर स्वीटजरलैण्ड में अवकाश व्यतीत करने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2007

क्रमांक-1257/3031/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-271/3031/32/2006 दिनांक 12-02-2007 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पेण्ड्री	181	17.22 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2007

क्रमांक 1260/717/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-725/717/32/2006 दिनांक 28-04-2007 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाटा	16, 17/4, 29/2, 31	1.133 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2007

क्रमांक-1263/1292/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगरी निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

नगरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गोरेगांव, अमाली, सम्बलपुर, छिपलीपारा, नगरी, बिलभदर एवं डोंगरडुला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सांकरा, मोदे, गोरेगांव, चुरियारा एवं बिलभदर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सिहावा, सिरसिदा, बोदसेंमरा, वीरनपुर, मोदे एवं सांकरा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम डोंगरडुला, बिलभदर, हरदीभाठा, छिपलीपारा, भीतररास एवं सिहावा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

संशोधन

क्रमांक एफ-4-3/36/पुरस्कार/2006/यो/418.—राज्य शासन मछली पालन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-3/36/पुरस्कार/यो/2006 दिनांक 25-9-2006 द्वारा जारी "श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार के नियम 10 पूर्व" पुरस्कार चयन हेतु चयन समय सीमा को विलोपित करते हुए निम्नानुसार समय-सीमा प्रतिस्थापित किया जाता है.

1.	पुरस्कार हेतु मत्स्य विकास प्रगति की कार्यावधि	1 अप्रैल से 31 मार्च
2.	जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि.	31 अगस्त तक

3.	जिलों से जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित चयनित प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	15 सितंबर तक
4.	जिला स्तरीय चयन समिति से चयनित प्रस्तावों पर संचालनालय स्तर पर कार्यवाही.	25 सितंबर तक
5.	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पुरस्कार चयन हेतु कार्यवाही	10 अक्टूबर तक
6.	पुरस्कार वितरण	राज्य स्थापना दिवस

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2007

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/2896/बी-14-17/2002/14-2.—विभाग के पत्र क्रमांक/1615/बी-14-17/2002/14-2, दिनांक 20-4-2006 द्वारा जारी अधिसूचना में गठित एक्जीक्यूटिव्ह काउंसिल में सचिव कृषि को सम्मिलित करते हुये सचिव कृषि को एक्जीक्यूटिव्ह काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा संचालक कृषि के समक्ष दर्शित "अध्यक्ष" शब्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर "सदस्य" शब्द स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

Raipur, the 23rd July 2007

No. F-8-21/2005/10-2.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Bio-diversity Act, 2002, the State Government hereby constitutes the Chhattisgarh Bio-diversity Board as under :—

1.	Honourable Forest Minister	-	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary Forest Deptt.	-	Member

3.	Principal Secretary/Secretary, Agriculture Deptt.	-	Member
4.	Director, Veterinary and Agriculture Deptt. Chhattisgarh	-	Member
5.	Director, Council of Science & Technology Chhattisgarh	-	Member
6.	Dr. G. S. Badesha, Director, Indian Medical System and Homeopathy Raipur.	-	Member
7.	Pro. D. K. Marothiya, Proff. and Head of Deptt. Natural Resourse & Economics Deptt. Indira Gandhi Agriculture University, Raipur.	-	Member
8.	Dr. V. K. Shukla Scientist, Botanical Survey of India, Allahabad	-	Member
9.	Dr. Kailash Chandra, In-charge officer Zoological Survey of India, Jabalpur.	-	Member
10.	Dr. A. K. Pati. Professor Bio-Science Deptt. Ravishanker Shukla University, Raipur.	-	Member
11.	Principal Chief Conservator of Forests/Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife).	-	Member Secretary

The Head office of the Chhattisgarh Bio-Diversity Board will be in the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Aranya Bhawan, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TAMTA, Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 3-79/2006/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित

पुलिस नवीन थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	नवीन चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन चौकी दोकड़ा	थाना कासाबेल तह. बगीचा, जिला-जशपुर.	दोकड़ा	43
			सीकिपानी	36
			केनाडाड़	36
			बैगाअम्बा	36
			भुसकुरी	37
			राजौटी	37
			दुढरू डाड़	37
			शिकारिया	37
			जुमई केला	36
			पतरापाली	43
			बम्हनमुण्डा	43
			कटंग खार	45
			रेवड़ा	43
			चोगरी बहार	44
			बास बहार	44
			तुरंगा खार	44
			देवरी	45
			जाममुण्डा	45
			लोढ़ा अम्बा	04
		तहसील कुनकुरी	पाकरटोली	45
			तामासिंगा	05
			ढोढ़ी बहार	05
			डोडा पानी	05
			हेडकांपा	03
			उपरकापा	03
			हर्राडाड	04
			टागर बहरी	03
			हेठघीचा	26
			उपरघीचा	26
			बंदर चुआं	05
2.	पुलिस चौकी दाढ़ी का थाने में उन्नयन.	थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला-दुर्ग.	दाढ़ी	06
		--,,--,	पंचभैया	04
		--,,--	सुखाताल	04
		--,,--	उडतला	01
		--,,--	मुरकी	8
		--,,--	गिधवा	6
		--,,--	अड़बंधा	9
		--,,--	आमची	4
		--,,--	कुरदा	9
		--,,--	देवगांव	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह. नवागढ़	करमन	1
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला दुर्ग	नवरंगपुर	9
		--,,--	करमतरा	4
		--,,--	सेंदरी	10
		--,,--	कोदवा	5
		--,,--	घोरेघाट	4
		--,,--	जांता	5
		--,,--	बाहरबोड़	5
		थाना व तह. नवागढ़	ठेंगाभाटा	9
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला दुर्ग	डोकरबेला	9
		--,,--	तरके	4
		--,,--	दमईडीह	6
		--,,--	नेवासपुर	9
		--,,--	परसवारा	8
		--,,--	पेण्ड्री शुकुल	5
		--,,--	बंधी	8
		--,,--	बटार	9
		थाना व तह. नवागढ़	बघुली	3
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला दुर्ग	बैहरसरी	3
		थाना व तह. नवागढ़	बोईरकचरा	3
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला-दुर्ग	भैंसबोडकला	8
		--,,--	भैंसाबोड खुर्द	9
		--,,--	मंडई	4
		--,,--	मरजादपुर	5
		--,,--	मोढे	3
		--,,--	लालपुर	4
		--,,--	सनकपाट	5
		--,,--	मजगांव	1
		--,,--	बिरमपुर	4
		--,,--	नवागांव	10
		--,,--	बोहारडीह	9
		थाना व तह. नवागढ़	धोबनीखुर्द	1
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला-दुर्ग	सुरंगदहरा	5
		--,,--	अमलीडीह	11
		--,,--	चिल्फी	6
		--,,--	कठौतिया	1
		--,,--	छिरहा	1
		--,,--	नवागांवकला	2
		--,,--	बिरसिंघी	3
		--,,--	चरघट	3
		--,,--	चरगांव	3
		--,,--	सारंगपुर	3
		--,,--	बिरमपुर	1
		--,,--	दामापुर	2
		--,,--	गांगपुर	2
		--,,--	नवागांव कुरमी	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना नवागढ़ तह. बेमेतरा, जिला-दुर्ग	सोनपुरी	2
		--,,--	गोरखपुर	14
		--,,--	जंगलपुर	2
		--,,--	अमलीडीह चौहान	12
		--,,--	भरवदा	8
		--,,--	झांझाडीह	13
		--,,--	मोतिमपुर	13
		--,,--	रामपुर	13
		--,,--	सुरकी	12
		--,,--	हेमाबंद	11

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 1/95/भापुसे/2001.—श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया (यू. एस. ए.) जाने के कारण दिनांक 17-09-2007 से दिनांक 12-10-2007 तक (कुल 26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 सितंबर तथा 13 एवं 14 अक्टूबर 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री देवांगन आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 1/86/भापुसे/2001.—श्री आर. सी. पटेल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अपने पिताजी के निधन हो जाने के कारण दिनांक 29-06-2007 से दिनांक 13-07-2007 तक (कुल 15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री आर. सी. पटेल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पटेल आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक., पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पटेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/6585/426/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/डी-6168/426/25-2/आजावि/2007, दिनांक 14 जून, 2007 द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि रुपए 1.00 लाख के स्थान पर रुपए 2.00 लाख दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त आदेश को निरस्त करते हुए आदेशित करता है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में पूर्ववत् रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/6588/89/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/3920/89/25-2/आजावि/2007, दिनांक 14 जून, 2007 द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान की पुरस्कार राशि रुपए 1.00 लाख के स्थान पर रुपए 2.00 लाख दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए आदेशित करता है कि गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/6590/476/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/476/25-2/आजावि/2007, दिनांक 14 जून 2007 द्वारा स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि रुपए 1.00 लाख के स्थान पर रुपए 2.00 लाख दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त आदेश को निरस्त करते हुए आदेशित करता है कि स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 अगस्त 2007

क्रमांक एफ-1-25/2004/सात-3.—दिनांक 16 मई, 2007 द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

3 (1) भू-अभिलेख नियमावली भाग एक के अध्याय-दो के उपनियम-3 (1) में कम से कम हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) जो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त हो, पास कर लिया हो तथा शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्ष का कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) अनिवार्य होगा.

नियम- 3 (2) यथावत् रहेगा :—

नियम- 3 (4) में अंकित "गैर" शब्द विलोपित किया जाता है.

अनुसूचित क्षेत्रों के पटवारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्ष के अंदर कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6).—यत: राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में तथा श्रमिक वर्ग के हित में मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को सहायता उपक्रम घोषित करना आवश्यक है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 तथा सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज़ (स्पेशल प्रोवीजन्स) एक्ट, 1985 (क्रमांक 1 से 5 1986) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लिमिटेड (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिये सहायता उपक्रम घोषित करती है.

No. F 16-13/2001/11/(6).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest and in the interest of workers to declare the Industrial unit, namely M/s Ambuja Cement Eastern Ltd. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur, a relief undertaking.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Chhattisgarh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) and under section 32 of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (1 to 5 1986) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "M/s Ambuja Cement Eastern Ltd., (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur" a relief undertaking for the period with effect from 1st April, 2005 to 31st March, 2006.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 1-14/2006/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय उद्योग विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाए,—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाहन चालक	16	तृतीय श्रेणी	संचालक उद्योग
2.	भृत्य	09	चतुर्थ श्रेणी	
3.	चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	
4.	प्रोसेस सर्वर	02	चतुर्थ श्रेणी	

No. F 1-14/2006/11/(6).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Directorate of Industries Department work-charged and contingency-paid Employees Recruitment and Conditions of Service Rules, 1976 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

For the existing schedule of the rule the following schedule shall be substituted.

SCHEDULE

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Driver	16	Class III	Director of Industries
2.	Peon	09	Class IV	
3.	Choukidar	02	Class IV	
4.	Process Server	02	Class IV	

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के बायलरों को नीचे दर्शाए अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

बायलर क्रमांक	**छूट की अवधि**
एम. पी./3198	01-07-2007 से 30-08-2007
एम. पी./3210	13-06-2007 से 12-07-2007
एम. पी./3216	18-07-2007 से 17-08-2007
एम. पी./4297	31-08-2007 से 30-09-2007
एम. पी./3530	21-06-2007 से 20-08-2007
एम. पी./3555	27-07-2007 से 26-10-2007

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2007

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	भदराली प. ह. नं. 19	2.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	कटई व्यपवर्तन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 08 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मड़मड़ा प. ह. नं. 4	8.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मनियारी संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5707/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	जंगलपुर प. ह. नं. 17	39.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5708/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बैरागीभेड़ी प. ह. नं. 50	51.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5709/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संवंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गहिराभेड़ी प. ह. नं. 50	10.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5710/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गर्रापार प. ह. नं. 56	10.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5711/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मटिया प. ह. नं. 16	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घुमरिया नाला व्यपवर्तन के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5712/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	टीपानगढ़ प. ह. नं. 53	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोटिया जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5713/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	कुमर्राछुरिया प. ह. नं. 67	2.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कुमर्राछुरिया व्यपवर्तन के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/5876/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	0.12	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	डोंगरगढ़ से चिचौला रेल्वे क्रासिंग ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 07 जून 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	परसाही नाला प.ह.नं. 03	49.914	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 07 जून 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोटमीसोनार प.ह.नं. 04	1.372	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 07 जून 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कल्याणपुर प.ह.नं. 03	1.392	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 07 जून 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पोड़ीदल्हा प.ह.नं. 03	32.373	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	कर्रानाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 मई 2007

क्रमांक/भू-अर्जन/21/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	चंगोरी प. ह. नं. 20	1112/1	0.729	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर (छ.ग.)	निर्मित चंगोरी जलाशय के बांध एवं डूबान हेतु.
			1141, 1142	0.231		
			1146	0.020		
			1151/2	0.040		
			1147	0.377		
			1132/1	0.065		
			1137	0.028		
			1132/2	0.182		
			1135	0.024		
			1136	0.065		
			1138	0.381		
			1139	0.413		
			1140/1	0.109		
			1140/2	0.109		
			1140/3	0.105		
			1140/4	0.106		
			1143	0.162		
			1144/1	0.134		
			1144/2	0.134		
			1145	0.105		
			20	**3.519**		

रायपुर, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/भू-अर्जन/20/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	छछानपाहरी प. ह. नं. 20	335/5	0.009	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर (छ.ग.)	निर्मित चंगोरी जलाशय के डूबान एवं स्पील चैनल हेतु.
			379/1	0.129		
			353/1	0.105		
			353/3	0.121		
			379/2	0.162		
			342/2	0.142		
			339	0.886		
			348	0.057		
			342/2	0.142		
			342/1	0.405		
			375/2	0.182		
			340	0.202		
			341	0.300		
			345	0.125		
			346	0.061		
			367	0.243		
			343	0.097		
			344	0.081		
			347	0.068		
			349/1	0.125		
			349/2	0.126		
			350	0.101		
			351/1	0.036		
			351/2	0.036		
			352	0.105		
			369	0.109		
			371/1	0.202		
			373	0.154		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			374/1	0.064		
			374/2	0.093		
			365/1	0.028		
			364	0.154		
			365/2	0.024		
			366/1	0.020		
			366/2	0.004		
			368/2	0.081		
			380	0.040		
			372/2	0.081		
			38	**5.092**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बेहरापाली प. ह. नं. 21	0.579	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	बेहरापाली एनीकट में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा प. ह. नं. 11	0.394	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	कलारमुड़ा जलाशय के नहर क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटमार प. ह. नं. 18	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	एनीकट कोटमार के क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बाघाडोला प. ह. नं. 35	0.401	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.).	बाघाडोला जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प. ह. नं. 19	0.149	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	भोजपल्ली जलाशय के नहर क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामगांव प. ह. नं. 21	0.644	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	जामगांव टैंक के दायीं व बायीं नहर क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सिहा प. ह. नं. 37	0.101	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	सिहा जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्र. क/भू-अर्जन/3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-जगदलपुर
 (ग) नगर/ग्राम-फाफनी, प. ह. नं. 35
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.804 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
फाफनी माइनर नं. 1	
198	0.036
197	0.054
196	0.069
194	0.012
234/1	0.129
236	0.105
237	0.270
293	0.186
292	0.030
290	0.042
289	0.093
527	0.045
526	0.114
	0.159
528	0.004
525/2	0.008
525/1	0.154
529	0.027
300	0.069
	1.447
फाफनी सब माइनर नं. 2	
210	0.111
227	0.246
योग	0.357
कुल योग	1.804

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा जलाशय परियोजना (फाफनी माइनर नं. 1 एवं सब माइनर नं. 2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

प्र. क्र. 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-कोटा
 (ग) नगर/ग्राम-नगचुवा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20/18	0.23

(1)	(2)
20/19	2.50
76/3	0.60
78/2	2.50
78/3	0.93
78/4	2.50
151	0.12
योग	9.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महामाया जलाशय के डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक 844/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-चीचा, प. ह. नं. 24/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-69.27 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
782/2	0.10
780	1.00
671	0.89
770	0.24
903	0.08
849	0.40
853	2.46
691	0.70
669/4	0.18
676/2	0.37
680	1.44
681/15	0.17
688/4	0.47
777	0.50
855	1.40
859/3	1.63
666/1	1.40
668	1.71
788/2	0.55
681/1, 2, 5	0.50
779	0.50
675	1.21
850/1	0.52
854	1.33
686/2	1.46
670/4	0.34
677	0.62
681/3	0.70
687	0.47
689	0.31
769	0.50
861/2	0.72
861/1	0.70
765	0.10
773/2	1.00
681/4	1.24
772/2	1.36
846	0.10
851	1.16
771	1.26
669/1	0.30
670/6	0.31
678/1	0.67
681/6	1.13
688/1	0.50
690	1.47
778	0.30
856/1	1.60

(1)	(2)
862	0.80
767	2.46
773	0.17
859/1	0.96
772/3	1.36
847	1.56
674	0.39
692/1	1.58
669/2	0.16
672/1	1.06
678/2	0.66
681/11	0.11
688/3	0.44
768/1	0.68
772/4	0.48
856/2	1.20
669/5	0.17
775	1.28
772/1	3.15
773	1.34
848	2.91
673	1.80
852	0.40
692/2	0.78
669/3	0.17
676/1	0.36
679	2.25
681/12	0.10
688/2	0.47
768/2	0.66
859/2	0.97
857	0.20
681/10	0.12
योग	69.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोड़की जलाशय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक/78/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-बोरियाझर, प. ह. नं. 80
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
437/1	0.03
456/3	0.06
437/2	0.22
योग 3	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिएं भूमि की आवश्यकता है- बोरियाझर बकमा मार्ग पर केशवा नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक/79/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कौहाकुडा, प. ह. नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	101	0.12
योग	1	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बागबाहरा पिथौरा छुईया मार्ग के नाला में पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक/80/भू-अर्जन/अ.वि.अ./6-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बकमा, प. ह. नं. 79
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1399	0.01
	1404	0.01
	1400	0.01
	1407	0.01
	1405	0.01
	1406	0.01
योग	6	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बोरियाझर बकमा मार्ग पुंल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-लाखाटोला, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288/1	0.092
288/2	0.069

(1)	(2)
363	0.081
449	0.004
402	0.086
364	0.098
454	0.019
362/2	0.082
365/1	0.010
360/2	0.089
361/1	0.026
383	0.036
368	0.004
370	0.019
462/3	0.040
462/12	0.140
372	0.023
462/14	0.098
450/2	0.025
462/5	0.040
462/4, 462/7	0.040
463	0.004
366	0.096
377	0.128
378/1	0.040
382	0.104
380/3	0.028
381	0.036
360/1	0.004
403	0.056
447/2	0.100
447/3	0.067
453	0.184
452/1	0.004
452/5	0.068
452/6	0.070
361/3	0.064
373/3	0.042
462/1	0.105
367	0.168
369	0.124
385	0.132
452/2	0.044
462/10	0.004
401	0.016
योग 45	2.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-इरीबकसा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40/4	0.053
40/6	0.056
40/7	0.064
40/12	0.053
42/2	0.057
42/3	0.121
43/1	0.065
44	0.004
45/1	0.061
45/3	0.101

(1)	(2)
45/4	0.049
योग 11	0.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सारी, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.833 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/1	0.283
53/2	0.120
54/1	0.133
55/2	0.129
56	0.081
58	0.008
64/1	1.008
64/2	0.417
64/3	1.169
65	0.057
66	1.012
70	0.093
71	0.405
72/1	0.202
72/2	1.337
72/3	0.263
72/11	0.101
72/16	0.153
72/4	0.405
72/5	0.202
72/6	0.202
72/7	0.202
72/9	0.263
72/10	0.121
72/12	0.486
72/15	0.081
72/17	0.065
72/13	0.294
72/14	0.256
73/1	0.110
73/2	0.546
74/1	0.583
74/2	0.631
76	0.008
77/1	0.190
77/2	0.060
79	0.462
86/1	0.020
87/1	0.061
89/1	0.004
339/2	0.202
343	0.202
349	0.595
88/9	0.008
88/1	0.060
88/3	0.140
88/7	0.140
88/8	0.060
72/8	0.203
योग 49	13.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारी जलाशय के अन्तर्गत बांधपार, डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-रेलई, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.683 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2	0.491
10/3	0.263
10/7	0.485
10/10	0.132
10/8	0.405
10/9	0.156
29/1	0.283
56/9	0.125
56/13	0.166
56/19	0.113
29/2	0.105
56/2	0.101
56/6	0.020
106/4	0.040
56/11	0.526
56/20	0.053
29/3	0.405
47	0.125
56/4	0.065
106/6	0.057
56/14	0.494
34/1	1.482
34/2	0.425
77/2	0.405
37/4	0.563
39/3	0.154
39/4	0.964
40	0.243
45	1.534
54/1	0.183
79/2	0.133
79/5	0.486
87/1	0.093
107/1	0.061
54/2	0.178
79/1	0.141
79/4	0.454
79/7	0.373
79/8	0.276
87/2	0.093
105/2	0.081
107/2	0.061
55	0.830
76/2	0.145
56/1	0.101
56/3	0.065
14/20	0.049
56/10	0.121
56/15	0.028
56/17	0.045
56/8	0.125
56/7	0.117
56/12	0.263
56/18	0.093
56/21	0.008
106/13	0.069
75/1	1.335
75/4	0.073
75/6	0.008
109/1	0.057
75/3	1.016
75/7	0.028
109/2	0.109
76/1	0.113
76/3	0.219
77/1	0.342
78	0.979
80/1	0.170
81	0.911
85/2	0.020
100/5	0.008
105/1	0.093
105/3	0.142
136	0.008

(1)	(2)
141	0.089
14/19	0.057
44	0.765
51	0.490
54/3	0.182
79/3	0.627
79/6	0.364
87/3	0.093
107/3	0.057
56/5	0.121
80/2	0.155
योग 85	23.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारी जलाशय के अंतर्गत बांधपार, उलट, नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 जून 2007

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम्
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-छांटा, प. ह. नं. 04.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/3, 82/4, 82/6	0.069
81/1, 82/2, 83/4	0.069
81/2, 82/3, 83/5	0.036
71/3	0.085
71/4	0.049
71/1	0.089
68/3	0.012
66	0.081
72/3	0.016
69	0.036
75	0.045
73	0.065
67	0.020
65/1-2	0.053
59/4	0.020
117/5	0.032
117/2	0.150
117/3, 119/2	0.134
117/4, 119/3	0.150
117/7, 119/6	0.032
162/5	0.166
योग 21	1.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 जुलाई 2007

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-खंडसरा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87	0.032
89	0.065
88	0.231
90/1	0.045
98/1	0.061
98/2	0.117
97	0.077
99	0.024
104/3	0.219
104/2	0.190
104/4	0.324
104/1	0.073
104/6	0.045
105/1	0.101
106/1	0.117
107	0.036
105/2	0.121
110/1	0.105
110/7	0.040
110/5	0.117
110/8	0.020
110/6	0.036
110/2	0.105
110/3	0.040
110/4	0.069
110/9	0.024
333/1	0.182
333/2	0.093
330/1	0.016
334/1	0.024
331/1	0.089
331/2	0.073
338/1	0.081
338/2	0.138
334/2	0.211
337/1	0.012
332	0.462
383	0.482
386/1	0.121
386/3	0.032
386/4	0.134
386/2	0.012
388	0.182
389	0.134
398	0.162
399	0.024
397/2	0.138
397/3	0.089
397/4	0.093
392/2	0.069
392/5	0.215
392/1	0.024
387	0.178
337/2	0.020
104/5	0.036
110/10	0.154
योग 56	6.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े डूमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/5	0.012
	0.093
21/10	0.012
165/2 क	0.307
165/2 ज/1	0.057
165/2 ट/1	0.109
165/2 ड/1	0.089
165/2 ढ/1	0.101
165/2 ज/1	0.166
165/2 त/1	0.166
165/2 छ/6	0.024
165/2 छ/2	0.053
165/2 छ/5	0.016
165/2 छ/4	0.020
458	0.065
459	0.121
योग 15	1.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजमार्ग क्र. 23 खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग स्थित ग्राम भालूनारा से रेल्वे साईडिंग राबर्टसन तक सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आड़पथरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302	0.020
307	0.105
303/2	0.028
308/2	0.061
308/1	0.053
योग 5	0.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजमार्ग क्र. 23 खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग स्थित ग्राम भालूनारा से रेल्वे साईडिंग राबर्टसन तक सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.081

	(1)	(2)
	92/2	0.012
योग	2	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजमार्ग क्र. 23 खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग स्थित ग्राम भालूनारा से रेल्वे साईडिंग राबर्टसन तक सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे डूमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.662 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	72	0.008
	81	0.214
	88/4	0.028
	88/3	0.016
	89	0.089
	98/2	0.150
	98/3	0.049
	98/3	0.032
	100/1	0.016
	100/1	0.020
	73	0.008
	29	0.008
	63	0.012
	36	0.008
	62/2	0.004
योग	15	0.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजमार्ग क्र. 23 खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग स्थित ग्राम भालूनारा से रेल्वे साईडिंग राबर्टसन तक सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भालूनारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	207	0.081
	205/4	0.093
	203	0.024
योग	3	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजमार्ग क्र. 23 खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग स्थित ग्राम भालूनारा से रेल्वे साईडिंग राबर्टसन तक सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2007

रा. प्र. क्र. 20/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आमाकोनी छोटे, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.447 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231/3	0.071
225/1	0.080
231/1	0.009
61	0.104
229/2 ख	0.099
228/4	0.038
228/3	0.035
231/1	0.134
217	0.113
219/2	0.009
219/1	0.016
210	0.174
209	0.065
195	0.040
181/3, 182/1	0.078
191/2	0.021
182/2	0.057
183	0.104
184	0.010
191/2	0.062
190/1	0.038
190/3	0.036
190/2	0.054
योग	1.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा जलाशय का नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2007

रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आमाकोनी बड़े, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.556 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362	0.024
399/1	0.004
399/2	0.005
359	0.143
391	0.008
384/2 385/1	0.009
393	0.012
365	0.018
366	0.006
367	0.024

(1)	(2)
390/1	0.035
376	0.040
386/1	0.009
387/1 387/2	0.023
387/3	0.026
388/1	0.019
345 375	0.018
345 375 377/2	0.041
383	0.009
384/3 385/2	0.023
381	0.007
384/1	0.021
योग	0.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा जलाशय का नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-काफरमार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.207 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
214	0.558
215	0.664
216	0.348
217	0.275
218/2	0.292
219	0.288
236	0.280
237	0.247
238/1	0.595
238/2	0.219
239/1	0.397
239/2	0.397
240	0.259
241	0.506
242/1	0.235
242/2	0.231
243/1	0.336
243/2	0.384
244	0.045
245	0.077
246	0.162
247	1.052
248	0.198
259	0.69
261	0.304
262/1	0.093
262/2	0.093
263	0.296
264	0.190
265	0.073
266	0.251
267	0.219
268	0.227
269/1	0.696
269/2	0.263
270	0.251
272	0.028
273	0.202
274	0.178
275	0.381
276	0.198
277	0.178
278/1	0.267
278/2	0.182

(1)	(2)
203	0.178
271	0.89
220	0.312
221	0.97
210	0.105
209/1	0.032
279/2, 281/6	0.214
278/2	0.036
279/5, 281/3	0.081
279/6, 281/4	0.024
281/5	0.109
305/3 छ/2	0.137
305/3 छ/4	0.020
316/9	0.089
389	0.121
योग	14.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्रीपारा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
716	0.040
715	0.020
योग	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर क्रमांक 1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जोबी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
678/7	0.012
665, 666	0.049
674/2	0.121
योग	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर क्रमांक 1 निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिंया
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.154
11/4	0.109
11/3	0.129
104	0.045
14	0.045
50/9	0.097
50/8	0.020
50/13	0.129
47/2	0.162
54/1	0.061
54/2	0.081
55/3	0.073
55/4	0.069
58/1	0.081
58/2	0.069
57	0.040
297/2	0.057
296	0.040
274/2	0.020
374/5	0.060
375	0.069
376	0.073
384/1	0.121
387	0.028
388	0.045
389	0.028
391/1	0.093
404/1 क, 405	0.097
402	0.008
403/2	0.142
437/1	0.125
435	0.033
437/2	0.040
438/3	0.073
434/1	0.024
433/1	0.008
502/2, 508	0.085
521	0.032
520	0.016
516	0.020
515	0.045
511	0.020
512/2	0.113
603	0.162
600/8	0.045
600/7	0.20
585	0.125
586	0.057
580	0.073
576/1	0.012
578	0.016
565/1	0.109
554	0.150
564/1	0.012
563	0.073
562	0.053
769	0.0129
771/2	0.057
763/2	0.077
775	0.065
777	0.036
786	0.093
792/1	0.057
795	0.113
799/4	0.020
798/2	0.045
11/3	0.049
11/2	0.089
18	0.053
502, 508	0.065
507	0.020
505/1	0.020

(1)	(2)
505/2	0.041
484	0.077
योग	4.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोराई व्यप. योजना के अंतर्गत मुख्य नहर एवं नहर क्र. 2 एवं 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गांडापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72/1	0.081
72/2	0.012
116	0.028
117	0.032
118	0.073
120	0.016
119/4	0.073
126	0.101
127	0.012
186	0.032
192/1	0.020
232	0.057
230	0.089
226	0.081
246/1	0.045
247	0.036
245	0.024
254	0.024
255	0.041
256/1, 256/2	0.041
257/1, 257/2	0.012
योग	0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोराई व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत माइनर क्रमांक 4 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जोबी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.949 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
261	0.162
262/2	0.243
264/3	0.061
264/2	0.024
264/5	0.024
649, 650	0.202
653	0.129
654	0.263
655	0.008

(1)	(2)
655 / 666 | 7	0.182
666 / 678 | 5	0.028
678/3	0.158
675	0.057
678/8	0.065
676/2	0.024
677/1	0.036
700/4	0.162
700/1	0.121
योग	1.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोराई व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-कोठीकुंडा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.056
39/1	0.040
39/4	0.073
39/3	0.0101
39/2	0.008
30	0.020
52	0.024
50	0.142
53	0.146
44/1	0.146
44/3	0.109
63	0.057
64/4	0.020
62/2	0.008
66/1	0.275
156	0.093
155	0.065
141/1	0.028
141/2	0.049
141/3	0.024
148/1	0.061
149/1, 147	0.093
149/2	0.057
182/2	0.121
182/3	0.036
187	0.121
188	0.061
186	0.016
189	0.073
130/1	0.004
192	0.073
190/2	0.004
236	0.061
228/4	0.186
228/1	0.032
226	0.004
योग	2.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-[illegible]
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-छीरपानी
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
310	0.214
314	0.291
315	0.773
313/1	0.045
313/3	0.081
329/2	0.049
329/3	0.162
328	0.053
330/1	0.053
330/2	0.227
321	0.441
335	0.300
326/1	0.129
326/2	0.275
324/1	0.242
324/2	0.049
324/3	0.057
324/4	0.049
324/5	0.032
324/6	0.049
339/1	0.198
338/4	0.016
338/5	0.016
346/2	0.036
346/2	0.024
345	0.049
344/3	0.045
344/1	0.045
347/3	0.069
380	0.045
379/2	0.142
381	0.028
382/2	0.028
382/1	0.028
384	0.097
400	0.020
399	0.040
398/1 क	0.036
405/1	0.020
406	0.028
408	0.133
222/2	0.012
222/3	0.040
209/3 210/3 221/3 222/1 ग/3 } 2	0.024
209/2 210/2 221/2 222/1/ख } 2	0.053
212	0.154
211/2 क	0.008
211/2 ख	0.036
204/1	0.057
195	0.089
193	0.036
योग	5.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीरपानी जलाशय एवं नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-खरसिया
   (ग) नगर/ग्राम-छोटे पंडरमुड़ा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.845 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
828	0.400
830	0.239
831	0.049
832	0.036
829	0.121
योग	0.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीरपानी जलाशय एवं नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1269/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रोकबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.416 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.060
44/3	0.152
45/1	0.144
44/2	0.060
योग 4	0.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय की आर. ब्री. सी. मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1271/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सागरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/2 घ	0.048
125/2	0.044
110/2, 111/1, 112/2	0.032
118/2 ज	0.044
124/2	0.028
131	0.068
128/1	0.172
130/4	0.072
115/3, 129/2	0.016
124/1	0.084

(1)	(2)
130/1	0.120
112/3	0.024
112/1	0.072
134/1	0.036
119/1	0.220
योग 15	1.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय की सागरपाली माइनर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330/2 क	0.008
332	0.060
333/1	0.048
333/2	0.040
340/6	0.216
342/10	0.116
334/3	0.072
341/1	0.204
340/1	0.052
341/2	0.036
308/1	0.036
307/1	0.080
308/2	0.056
307/2	0.044
306	0.052
344	0.048
345	0.024
348	0.052
358	0.056
360	0.146
361/1	0.040
362/1 क	0.062
346	0.016
363	0.016
योग 24	1.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का खजरीढाप माइनर के अंतर्गत ग्राम कोतबा का भू-अर्जन के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खजरीढाप
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.508 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284/2	0.032
283/1	0.056
280/5 क	0.012
290/1	0.084
283/2	0.012
290/2	0.048
280/5 ख	0.064
280/1, 280/2	0.108
278	0.084
280/6	0.008
योग 10	0.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का आर. बी. सी. मुख्य नहर के अंतर्गत खजरीढाप माइनर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पतराटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/17	0.324
82/2	0.040
84/1	0.032
84/3	0.104
योग 04	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का आर. बी. सी. मुख्य नहर के अंतर्गत पतराटोली माइनर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.209 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1082/10	0.040
1094/1	0.048
1094/3	0.024
1114/4	0.076
1114/5	0.024
1115/4	0.012
1116	0.076
1130/1	0.013
1119	0.032
1120	0.016

(1)	(2)
1121/1	0.009
1121/2	0.009
1121/3	0.009
1121/4	0.009
1121/5	0.009
1132/1	0.024
1121/6	0.009
1132/2	0.024
1129/1	0.170
1130/2	0.013
1130/3	0.013
1130/4	0.013
1130/5	0.013
1175/1	0.060
1187/1	0.100
1175/2	0.076
1175/3	0.064
933/4	0.012
933/5	0.200
933/6	0.004
932	0.101
931/1	0.032
931/2	0.040
929/1	0.144
929/2	0.028
929/4	0.028
1188/1	0.012
1188/4	0.072
1183/1 क	0.052
1187/1 क	0.034
1188/2	0.044
1188/3	0.048
1186	0.036
1291/1	0.084
1291/3	0.056
1291/2	0.024
1314	0.124
1315	0.084
योग 48	2.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का बैगाबहार माइनर एवं सब माइनर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.362 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1098/1	0.136
1098/2	0.008
1081	0.140
1079/1	0.052
1079/2	0.060
1079/3	0.032
1010/2	0.096
1075	0.116
1076/1	0.170
1074/1	0.004
1074/2	0.032
1074/3	0.028
1074/4	0.024
1073	0.120
1072/4	0.004
1066	0.144
1064	0.004
1009	0.192
योग 18	1.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का कोतबा माइनर-2 के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.358 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	312/1	0.202
	261/1	0.032
	313/1	0.016
	236/1	0.532
	236/3 क	0.004
	238/3	0.016
	241/5	0.084
	242/1	0.056
	243	0.052
	260/2	0.012
	261/2	0.076
	263	0.084
	240	0.192
योग	13	1.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगंढ़ा जलाशय योजना का आर. बी. सी. मुख्य नहर के अंतर्गत कोतबा माइनर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1367/1 घ	0.060
1358/4	0.048
1348/2	0.028
1366/2	0.092
1366/3	0.024
1158/1	0.120
1159/1	0.072
1159/2	0.084
1330	0.030
1328	0.396
1331/1	0.116
1331/2	0.032
1358/2	0.028
1336/2	0.076
1358/3	0.032
1348/1	0.048
1358/5	0.068
1338/2	0.048
1348/3	0.048
1359	0.299
1489/1	0.032
1336/1	0.068
1339/2	0.056
1340	0.132
1307/6	0.072

	(1)	(2)
	1343/1	0.028
	1343/3	0.060
	1345/3	0.032
	1345/1	0.186
	1352	0.116
	1344/2	0.124
योग	31	2.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना का करमीटिकरा शाखा नहर के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-कुकुरभुका, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.245 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2630	0.575
	2682	0.250
	2684	0.420
योग	03	1.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय के डूबान क्षेत्र का अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-कोकियाखार, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.447 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	102/6	0.096
	102/10	0.044
	102/2	0.812
	102/3	0.148
	102/1 ख	0.486
	102/16	0.032
	102/7	0.089
	102/1 ग	0.740
योग	08	2.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय के डूबान क्षेत्र का अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-पीठाआमा, प.ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.236 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
55/1	0.559
55/2	0.049
61/1 ख	0.255
55/3	0.718
60	0.040
55/6	0.190
55/4	0.526
55/5	0.202
61/1 क	0.340
53	0.829
44/2	0.008
52/2	0.809
51/3	0.121
48	0.077
114/1	0.129
114/2	0.180
119	0.316
111	0.182
112	0.158
113	0.132
120/1	0.156
121/1 क	0.465
126/2 क	0.276
137/2 ख	0.276
50	0.360
135/1	0.513
122/3	0.178
131/1	0.401
122/2	0.445
123/1	0.125
120/2	0.157
121/1 ख	0.465
126/1 क	0.600
133/1	1.032
124/1	0.062
135/2	0.069
133/2	0.232
126/1 ख	0.031
122/1	0.619
125/2, 133/19 (क)	0.354
131/25	0.194
137/1	0.089
134/3	0.243
124/3	0.101
125	0.065
126/1 ङ	0.143
134/4	0.065
137/3	0.129
51/2	0.245
135/5	0.016
135/7	0.032
128/2, 133/19 (ख)	0.071
124/4	0.067
126/1 च	0.324
135/6	0.036
135/8	0.101
132/1 क	0.016
128/2, 133/19 (घ)	0.071
128/3 क, 160/6 क, 233/20 क	0.162
128/3 ङ, 160/6 ङ, 233/20 ङ	0.162
128/3 ख, 160/6 ख, 233/20 ख	0.101
128/3 घ, 160/6 घ, 233/20 घ	0.101
137/6	0.084
52/1	0.113
128/3 ग, 160/6 ग, 233/20 ग	1.029
159/5	0.179
130	1.003
159/4	0.048
54	0.117

	(1)	(2)
	131/2 ख	0.194
	124/2	0.118
	126/1 घ	0.124
	129	0.101
	135/4	0.034
	123/2 133/10	0.070
	132/2	1.243
	160/5	0.640
	126/1 ग	0.324
	135/3	0.093
	128/1	0.105
	127	0.178
	126/2 ख	0.162
	157/8 160/4	0.018
	49/1	0.081
योग	84	21.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीठाआमा जलाशय डूबान क्षेत्र का अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जामझोर, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.654 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	39	0.088
	40	0.008
	38	0.016
	41/1	0.012
	51	0.112
	64/1 क/1	0.124
	53/5	0.256
	53/1	0.038
योग	08	0.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय योजना की आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोकियाँखार, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.780 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
102/4	0.024
100/4	0.048
100/5	0.148

(1)	(2)
181/1 ख 182/1 ख 184/1 ख	0.088
97	0.168
98	0.112
105	0.016
393	0.124
394	0.024
395	0.076
126	0.184
104/3	0.024
104/2	0.016
109/1	0.040
109/2	0.040
110	0.108
127/1	0.102
128/5	0.060
131/1	0.102
129/5	0.012
130	0.076
133/1	0.058
133/2	0.004
150/3	0.192
176/2 ख	0.004
177	0.116
178	0.088
180	0.032
183/1	0.068
186/1	0.024
383/1	0.004
388/2	0.094
387/1	0.008
386/2	0.004
378/2	0.004
386/1	0.004
379/2	0.156
385	0.116
388/3	0.064
योग 39	2.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय की आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बालाझर, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
306/6 ख	0.061
314/1 क	0.106
315/5 ख	0.454
306/3	0.424
314/2	0.162
315/1 ख	1.979
306/30 क	0.425
306/32 क	0.008
306/33 क	0.016
306/35 क	0.183
304/4 क/2	0.259
306/4 ग/2	0.121
315/1 क	0.410
315/1 ग	0.081
319/1	2.104
319/4 क	0.490
319/6	0.526
306/6 ग	0.152
314/1 ग	0.060
315/5 घ	0.149
323/5	1.700
321/1	0.207
322	0.388
323/2	0.445
319/8	0.809

(1)	(2)
324/6	0.121
334/1	0.268
328/1	0.117
330/1 | 331 | 1	0.456
320	0.326
327/2	0.162
318/624	0.571
324/4 ख	0.057
306/4 क/1	0.267
306/4 ग/1	0.243
306/4 ख	0.591
306/29	0.761
315/3	2.552
317	0.287
328/2	0.065
324/2	0.291
330/2 | 331 | 2	0.296
306/5	0.291
306/31	0.534
306/6 क	0.566
315/5 क	0.069
314/4	0.081
315/4	0.405
315/2	1.000
314/3	0.619
318/3	0.417
324/4 क	0.077
325	0.251
318/1	0.628
319/2	0.607
324/3	0.312
324/7	0.049
316	0.809
318/2	0.632
319/3	0.478
319/5	1.062
306/17	0.104
319/4 ख	0.440
324/5	0.202
321/2	0.125
323/3	0.506
323/4	0.121
324/1	0.202
314/1 ख	0.127
331	0.413
306/35 ख	0.133
306/33 ख	0.032
314/5	0.417
326	0.128
306/18	0.142
329	0.069
7/1	0.243
315/5 ग	0.542
323/1	0.101
315/625	0.267
योग 80	32.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालाझर जलाशय का डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-बालाझर, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
334/1	0.188
334/2 क	0.352
572/6	0.076
573	0.152
570/1	0.060
571/1	0.012

(1)	(2)
575/4 ख	0.342
489/4	0.036
490	0.116
535/1 क	0.038
492	0.076
493	0.078
488	0.012
541/4	0.092
528	0.030
480	0.068
526	0.042
554	0.004
555	
525/20 ख	0.008
549	0.104
550	0.108
535/1 ख	0.038
535/3	0.192
541/5	0.016
527	0.036
योग 25	2.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालाझर जलाशय योजना की मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक 471/क/भू-अर्जन/2007/सी-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटेसरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
375/1, 2	0.07
374, 376	0.10
377	0.11
373	0.01
378/3	0.01
366/1	0.08
364	0.24
356/1	0.11
358/1, 2	0.18
510/1	0.04
335	0.11
330	0.19
508/2	0.11
520	0.12
521	0.05
536	0.13
522/2	0.24
525/1, 524	0.24
527	0.01
योग 19	2.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के काशीडीह माइनर क्र-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक 473/क/भू-अर्जन/2007/सी-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरूवा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1054/1	0.07
	1053	0.09
	1051	0.11
योग	3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के खोरसिया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जुलाई 2007

क्रमांक 475/क/भू-अर्जन/2007/सी-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2/1	0.10
	1	0.17
	3	0.01
	8	0.07
	7/4	0.02
	7/3	0.05
	11/2	0.13
	12/1	0.41
	13/3 ख	0.03
	13/4	0.08
	14/2	0.18
	15	0.14
योग	12	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर क्र. 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 2 अगस्त 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7600.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रेंकी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-219.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
593/1 क	0.72
593/2 ख	0.24
593/2 ग	0.10
593/2 घ	0.06
732/1	0.24
732/2	0.32
733/1 क	0.08
733/1 ख	0.14
733/1 ग	0.14
733/1 घ	0.14
733/2	0.06
734	0.52
735/1	0.25
735/2	0.25
737	0.05
738	0.05
739	0.22
740	0.16
741	0.17
742	0.12
743/1	0.30
743/2	0.22
743/3	0.30
743/4	0.30
745/1	0.12
745/2	0.34
745/3	0.34
745/4	0.39
745/5	0.08
745/6	0.34
745/7	0.26
745/8	0.18
745/9	0.40
745/10	0.15
745/11	0.14
745/12	0.11
761/1	0.14
761/2	0.22
761/3	0.12
761/4	0.16
761/5	0.56
761/6	0.13
761/7	0.35
761/8	0.70

(1)	(2)
761/9	0.70
761/10	0.18
761/11	0.14
761/12	0.14
761/13	0.14
761/14	0.26
761/15	0.18
761/16	0.43
761/17	2.79
761/18	0.35
761/19	0.10
761/20	0.10
761/21	0.10
761/22	0.10
761/23	0.17
761/24	0.17
761/25	0.17
762/1	0.23
763/1	0.18
762/2	0.30
762/3	0.23
762/4	0.34
763/2	0.27
763/3	1.24
763/4	0.10
763/5	0.11
764/1	0.55
764/2	0.53
764/3	0.60
764/4	0.26
764/5	0.37
764/6	0.17
764/7	0.29
765/1	0.62
765/2 क	0.39
765/2 ख	0.38
765/3	0.07
765/4	0.07
765/5	0.23
765/6	0.22
765/7	0.32
765/8	0.64
791/2	0.07
796/2	0.05
765/9	0.23
765/10	0.08

(1)	(2)
765/11	0.45
765/12	0.22
765/13	0.23
765/14	0.08
765/15	0.07
766	0.28
767	0.26
768	0.12
769	0.11
770	0.11
771/1	0.40
771/2	0.46
772	0.34
773	0.39
774	0.70
775/1	0.33
775/2	0.17
775/3	0.16
775/4	0.17
775/5	0.16
776	2.50
777/1	0.33
777/2	0.33
778/1	0.20
778/2	0.29
779	0.60
780/1	0.42
780/2	0.20
780/3	0.30
780/4	0.13
780/5	0.15
780/6	0.15
781	0.80
782/1	0.64
782/2 क	0.12
782/2 ख	0.23
782/2 ग	0.12
782/3	0.17
782/4	0.42
783/1	0.52
783/2	0.50
783/3	0.30
784/1	0.25
784/2	0.62
784/3	0.25
785/1	0.37
785/2	0.25
785/3	0.18
786/1	0.26
786/2	0.85
786/3	0.40
786/4	0.65
786/5	0.60
786/6	0.60
786/7	0.65
786/8	0.37
786/9	0.40
786/10	0.13
786/11	0.65
786/12	0.26
786/13	0.26
786/14	0.26
786/15	0.26
787	0.13
788	0.13
789/1	0.15
789/2	0.16
789/3	0.15
790	0.34
791	0.31
792	0.13
793/1	0.15
793/2	0.30
793/3	0.08
794	0.21
795/1	1.00
795/2	0.12
795/3	0.25
795/4	0.30
795/5	0.20
795/6	0.20
795/7	0.13
795/8	0.20
795/9	0.05
795/10	0.25
795/11	0.30
795/12	0.25
795/13	0.75
795/14	0.10
796/1	0.34
796/3	0.12
796/4	0.36
796/5	0.11

(1)	(2)
796/6	0.12
796/7	0.15
796/8	0.36
796/9	0.06
796/10	0.11
796/11	0.11
796/12	0.04
796/13	0.12
796/14	0.07
797/1, 798/1 क	0.27
797/2, 798/1 ख	0.28
798/2	0.25
798/3	0.11
798/4	0.25
798/5	0.11
798/6	0.11
798/7	0.11
798/8	0.11
799	0.50
800/1	0.05
800/2	0.20
800/3	0.20
800/4	0.20
800/5	0.20
800/6	0.16
800/7	0.16
800/8	0.16
800/9	0.05
800/10	0.05
800/11	0.05
800/12	0.05
800/13	0.70
801/1	0.04
801/2	0.03
801/3	0.17
801/4	0.17
801/5	0.17
801/6	0.20
801/7	0.20
801/8	0.20
801/9	0.20
801/10	0.03
801/11	0.03
801/12	0.03
801/13	0.03
801/14	0.02

(1)	(2)
801/15	0.04
801/16	0.60
802/1	0.14
802/2	0.04
802/3	0.04
802/4	0.04
802/5	0.04
802/6	0.10
803/1	1.40
803/2	2.80
803/3	2.95
803/4	3.00
803/5	0.35
803/6	1.28
803/7	1.94
803/8	3.00
803/9	1.00
803/10	3.00
803/11	1.85
803/12	0.23
803/13	0.23
803/14	0.23
803/15	0.23
803/16	0.23
803/17	0.22
803/18	0.22
803/19	0.32
803/20	0.32
803/21	0.32
803/22	0.32
803/23	0.31
804/1	0.25
804/2	0.52
804/3	0.25
804/4	0.25
804/5	0.25
805/1	0.28
805/2	0.28
805/3	1.70
805/4	1.97
805/5	1.79
805/6	0.70
805/7	0.40
805/8	0.90
805/9	0.32
805/10	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
805/11	0.86	808/2 ज	0.20
805/12	0.69	808/2 घ	0.15
805/13	0.40	808/3 क	0.33
805/14	0.12	808/3 ख	0.60
806/1	0.60	808/3 ग	0.45
806/2	0.14	808/3 घ	0.32
806/3	0.06	804/4	0.45
806/4	0.08	808/5 क	0.38
806/5	0.34	808/5 ख	0.18
806/6	0.14	808/5 ग	0.15
806/7	0.07	808/5 घ	0.21
806/8	0.07	808/5 ङ	0.25
806/9	0.05	808/5 च	0.12
806/10	0.05	808/5 छ	0.12
806/11	0.05	808/5 ज	0.65
806/12	0.05	808/5 झ	0.28
806/13	0.05	808/5 ञ	0.28
806/14	0.25	808/5 ट	0.50
806/15	0.25	808/5 ठ	0.28
806/16	0.25	808/5 ड	0.15
806/17	0.25	809/1	0.40
807/1	0.03	809/2	0.15
807/2	0.08	809/3	0.54
807/3	0.03	809/4	0.75
808/1 क	3.70	809/5	0.20
816/1	7.04	809/6	0.40
808/1 ख	0.75	811/1	0.25
808/1 ग	0.98	811/2	0.32
816/5	1.10	811/3	0.25
808/1 घ	0.56	811/4	0.30
808/1ङ	0.60	813/1	1.08
808/1च	0.90	813/2	0.15
808/1 छ	0.20	830/1	6.52
808/1 ज	0.10	813/3	0.37
808/1 झ	0.30	815/2	0.24
808/1 ञ	0.18	813/4	0.65
808/1 त	0.10	813/5	0.05
808/1 थ	0.10	813/6	0.05
808/1 द	0.10	813/7	0.05
808/1 ध	0.10	814/1	0.15
808/1 न	0.10	814/2	0.50
808/2 क	1.66	815/1	0.50
808/2 ख	0.20	815/3	0.10
808/2 ग, 816/3	0.60	815/4	0.18
808/2 ङ	0.20	815/5, 815/6	0.14
808/2 च	0.20	815/7, 815/8	0.14
808/2 छ	0.20	816/2	0.36

(1)	(2)	(1)	(2)
816/4	1.20	823/3	0.22
816/6	0.74	824/1	0.30
817/1	0.37	824/4	0.30
817/2	0.38	824/5	0.15
818/1 क	0.40	824/6	0.30
818/1 ख	0.12	824/9	0.15
818/1 ग	0.14	825/1	0.05
818/1 घ	0.13	825/2	1.00
818/2	0.23	825/3	0.85
818/3	1.20	825/4	1.00
818/4	0.17	825/5	1.00
818/5	0.77	825/6	1.00
818/6	0.73	825/7	1.00
818/7 क	0.48	826/1	0.65
818/7 ख	0.15	826/2	0.53
818/7 ग	0.16	826/3	0.56
818/7 घ	0.16	826/4	0.63
818/8 क	0.42	826/5	0.23
818/8 ख	0.14	827/1	0.20
818/8 ग	0.14	827/2	0.11
818/8 घ	0.15	827/3	0.11
818/9	0.76	827/4	0.06
818/10	0.88	827/5	0.21
818/11	1.45	827/6	0.21
818/12	0.33	827/7	0.20
818/13	0.21	828/1	0.36
818/14	0.33	828/2	0.37
818/15	0.22	828/3	0.32
818/16	0.34	828/4	0.37
818/17	0.21	828/5	0.21
818/18	0.35	828/6	0.54
818/19	0.22	828/7	0.53
819/1, 824/2	1.16	829	4.10
819/2	0.20	830/2	1.00
824/3	1.30	830/3	0.15
819/3	0.80	830/4	1.85
819/4	0.40	830/5	0.65
819/5, 824/7	1.15	830/6	0.28
819/6, 824/8	1.15	830/7	0.20
820	1.00	830/8	1.50
821/1	0.60	830/9	0.25
821/2	1.80	830/10	0.25
822/1	0.12	830/11	0.42
822/2	2.18	830/12	0.15
823/1	0.38	830/13	0.15
823/2	0.22	830/14	0.15

(1)	(2)
830/15	0.15
830/16	0.15
830/17	0.15
831/1	2.93
831/2	0.57
831/3	0.45
831/4	0.45
831/5	0.45
831/6	0.45
831/7	0.20
831/8	1.20
832/1	1.18
832/2	1.75
832/3	1.00
832/4	2.00
832/5	0.23
832/6	0.48
832/7	0.24
832/8	0.72
832/9	0.50
832/10	0.50
833/1 क	0.31 1/2
833/1 ख	0.11 1/2
833/1 ग	0.10
833/1 घ	0.10
833/2	1.25
833/3	0.62
834	0.28
835	1.70
836	2.90
योग 482	219.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावर प्लांट एवं कोल वाशरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.